

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1289 / 11-सी-FP/UP/Trans/22021/2016, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 11, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/९९/२०१९/एफ०सी०/४३४, दिनांक २९.११.२०१९ एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर का पत्रांक-१६२८/मी०क्षे०/३३, दिनांक ०९.१०.२०२४

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-१६२८/मी०क्षे०/३३, दिनांक ०९.१०.२०२४ द्वारा इस कार्यालय को दिनांक ०९.११.२०२४ को ऑनलाइन अपलोड कर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1289 / 11-सी-FP/UP/Trans/22021/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, पथरहिया रोड, मीरजापुर।


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

034
11-611
15/10/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 1628/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक अक्टूबर, 09- 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद-मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या- 8बी/यू0पी0/04/99/2019/एफ0सी0/434 दिनांक 29.11.2019।
2- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1118/11सी-FP/UP/TRANS/22021/2016, लखनऊ, दिनांक 04.12.2019 एवं पत्रांक- 915/11-सी-FP/UP/TRANS/22021, दिनांक 08.09.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 29.11.20219 द्वारा जनपद-मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में उल्लिखित 16 शर्तों के अधीन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर न अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1220/मीरजापुर/15 दिनांक 04.10.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आख्या परीक्षण कर निर्धारित टेबुलर फार्म में संस्तुति सहित 04 प्रतियों में इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

कसं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रयोक्ता अधिकरण को मान्य है।
2	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे0 0.5 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे0 या 0.5 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि मु0 83,763.00 (तिरासी हजार सात सौ तिरसठ रुपये)कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर-560027, खाता संख्या- 150906422021824 IFSC code- UBIN0996335 में UTR No.-ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रु0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
3	(क)-प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार इको क्लारा (III) खुले वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार

		निर्धारित एन0पी0वी0 रू0 8.03 लाख प्रति हे0 की दर से 8.03 लाख x 0.2322 हे0= रू0 186457.00 (एक लाख छियासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर— 560027, खाता संख्या— 150906422021824 IFSC code—UBIN0996335 में UTR No.— ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
	3—(ख)—इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई—रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रस्तावक संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई—रसीद की छाया प्रति संलग्न है।
	3—(ग)—प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है कि यदि एन0पी0वी0 की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा, उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु अपेक्षित धनराशि मु0 38900/- (अठतीस हजार नौ सौ रुपये) कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर— 560027, खाता संख्या— 150906422021824 IFSC code—UBIN0996335 में UTR No.— ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
5	अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा की जायेगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा कर दिया गया है e-receipt की प्रति संलग्न है।

7	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
10	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
11	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
13	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा,	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
14	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
16	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।
	CA Amount as per proposal	Rs. 68564.00
	CA Amount deposited	Rs. 83763.00
	Difference in amount	Rs. 15199.00
	Reason for difference	Due to rate in SOR
	NPV amount as per proposal	Rs. 1,86,457.00
	NPV amount deposited	Rs. 1,86,457.00

h

Difference in amount	-
Reason of Difference	-
ACA Amount as per proposal	Rs. 31841.00
ACA Amount deposited	Rs. 38900.00
Difference in amount	Rs. 7059.00
Reason for difference	Due to rate in SOR
Any other Charges/Levies (Dimarkeshan & Piller Fixing)	
CAMPA confirmation	Payment Details Enclosed

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतद् सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या-1628/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक— 1210 / मीरजापुर / 15, दिनांक मीरजापुर अक्टूबर 14, 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर।

विषय— जनपद—मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर—जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

संदर्भ—1— भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या— 8बी/यू0पी0/04/99/2019/एफ0सी0/434 दिनांक 29.11.2019 ।

2— कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक—1118/11सी—FP/UP/TRANS/22021/2016, लखनऊ, दिनांक 04.12.2019 एवं पत्रांक—915/11—सी—FP/UP/TRANS/22021, दिनांक 08.09.2022 ।

महोदय,

जनपद—मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर—जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या— 8बी/यू0पी0/04/99/2019/एफ0सी0/434 दिनांक 29.11.2019 द्वारा उसमें उल्लिखित 16 शर्तों के अधीन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में एवं प्रत्येक शर्त की वचनबद्धता सहित संलग्नकर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, पथरहिया रोड—मीरजापुर (उ0प्र0)—231001 के पत्रांक—1438/वि0प्रे0ख0(मि0) दिनांक 01.10.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका परीक्षण कर अनुपालन आख्या संस्तुति सहित 04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कसं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रयोक्ता अधिकरण को मान्य है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे0 0.5 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी ।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे0 या 0.5 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि मु0 83,763.00 (तिरासी हजार सात सौ तिरसठ रुपये)कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड,बैंगलोर—560027, खाता संख्या—150906422021824 IFSC code—UBIN0996335 में UTR No.—ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।

FP/UP/PETROLPUMP/401518/2022

✓

3	(क)-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी ।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार इको क्लास (III) खुले वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 रू0 8.03 लाख प्रति हे0 की दर से $8.03 \text{ लाख} \times 0.2322 \text{ हे0} = \text{रू0 } 186457.00$ (एक लाख छियासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.- ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।
	3-(ख)-इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रस्तावक संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति संलग्न है।
	3-(ग)-प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है कि यदि एन0पी0वी0 की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा, उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु अपेक्षित धनराशि मु0 38900/- (अठतीस हजार नौ सौ रुपये) कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.- ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।

5	अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा की जायेगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा कर दिया गया है e-receipt की प्रति संलग्न है।
7	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
10	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
11	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
13	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा,	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
14	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है।

15	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
16	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।
	CA Amount as per proposal	Rs. 68564.00
	CA Amount deposited	Rs. 83763.00
	Difference in amount	Rs. 15199.00
	Reason for difference	Due to rate in SOR
	NPV amount as per proposal	Rs. 1,86,457.00
	NPV amount deposited	Rs. 1,86,457.00
	Difference in amount	-
	Reason of Difference	-
	ACA Amount as per proposal	Rs. 31841.00
	ACA Amount deposited	Rs. 38900.00
	Difference in amount	Rs. 7059.00
	Reason for difference	Due to rate in SOR
	Any other Charges/Levies (Dimarkeshan & Piller Fixing)	
	CAMPA confirmation	Payment Details Enclosed

संलग्नक-4 प्रतियों में

- प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गयी अनुपालन आख्या।
- Payment Details** - (N.P.V. C.A., A.C.A., Dimarkeshan & Piller Fixing Deposited) through R.T.G.S./NEFT RTGS- कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.- ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रु0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
- प्रस्तावक विभाग का वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

वन्देवत

मुकुन्दराव
4/10/2024

संख्या अ / समदिनांक

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, पथरहिया रोड-मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(अरविन्द राज मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;



To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.



Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.



Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.



Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.



Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Lucknow	Select State :	Uttar Pradesh
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	22021/2016		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/TRANS/22021/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/TRANS/22021/2016) Reserve Forest Land proposed to be diverted for 132KV Mirzapur-Jigna CKT-2 LILLO Passing over forest land at Village:Rajapur District Mirzapur	TRANS220212016824	29 Dec 2019	CA: 83763/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- Estimate for Medicinal Plants Under 38900/- Transmission L : Boundry Pillar Marking : 3600/- Total : 312720/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Aug 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Aug 2023 Transaction Date : 08 Nov 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/050820231153230885_FPUPTRANS220212016) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=TRANS220212016)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilstatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1438/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 01/10/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर।

विषय- जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

- संदर्भ-1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/९९/२०१९/एफ०सी०/४३४ दिनांक 29.11.2019।
- 2- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1118/11सी-FP/UP/TRANS/22021/2016, लखनऊ, दिनांक 04.12.2019 एवं पत्रांक-915/11-सी-FP/UP/TRANS/22021, दिनांक 08.09.2022।
- 3- आपका पत्रांक-2175/मी०/१५ दिनांक 06.12.2019 एवं पत्रांक- 47/मी०/१५ दिनांक 04.07.2023।

महोदय,

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/९९/२०१९/एफ०सी०/४३४ दिनांक 29.11.2019 द्वारा उसमें उल्लिखित 16 शर्तों के अधीन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में एवं प्रत्येक शर्त की वचनबद्धता 05 प्रतियों में संलग्नकर प्रेषित है।

क्र०	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रयोक्ता अधिकरण को मान्य है।
2	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे० 0.5 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे० या 0.5 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि मु० 83,763.00 (तिरासी हजार सात सौ तिरसठ रुपये)कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड,

		कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर-560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.-ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।
3	(क)-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी ।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार इको क्लास (III) खुले वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 रू0 8.03 लाख प्रति हे0 की दर से 8.03 लाख X 0.2322 हे0= रू0 186457.00 (एक लाख छियासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.-ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।
	3-(ख)-इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।	प्रस्तावक संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
	3-(ग)-प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है कि यदि एन0पी0वी0 की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।
4	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा, उक्त वृक्षारोपण का	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु अपेक्षित

	कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।	धनराशि मु0 38900/- (अठतीस हजार नौ सौ रुपये) कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ0सी0सी0 सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.-ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू0 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
5	अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा की जायेगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा कर दिया गया है e-receipt की प्रति संलग्न है।
7	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
10	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।	परियोजना से सम्बन्धित समान ढुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
11	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।	पारेषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

13	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा,	प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
14	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।
16	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभय शंकर द्विवेदी)
अधिशाली अभियंता

पत्रांक— 1438 /विप्र00ख0(मी0) / दिनांक— 01/10/24
प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मिर्जापुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, वि0प्र0उ0ख0—प्रथम, मिर्जापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर—वन प्रभाग
मीरजापुर

(अभय शंकर द्विवेदी)
अधिशाली अभियंता

Mob: 9415311059

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- 1400/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-1

जनपद-मीरजापुर में 132 के०बी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-- 1 के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रयोक्ता अधिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- /वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 2

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(0.2322 \times 2 = 0.4644)$ हे० या 0.5 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि मु० 83,763.00 (तिरासी हजार सात सौ तिरसठ रुपये)कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ०सी०सी० सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर-560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.-ICICR 42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू० 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- /वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 3

- 3(क) जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार इको क्लास (III) खुले वन हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन०पी०वी० रू० 8.03 लाख प्रति हे० की दर से 8.03 लाख x 0.2322 हे०= रू० 186457.00 (एक लाख छियासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ०सी०सी० सेन्टर 21/1,3rd जोलिता टावर, मिशन रोड, बैंगलोर-560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.-ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू० 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया।
- 3(ख) प्रस्तावक संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छाया प्रति संलग्न है।
- 3(ग) प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है कि यदि एन०पी०वी० की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- /वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 4

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-4 के अनुपालन में पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु अपेक्षित धनराशि मु० 38900/- (अठतीस हजार नौ सौ रुपये) कम्पनसेटरी एफारेस्टेशन फंड, कारपोरेशन बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया एफ०सी०सी० सेन्टर 21/1, 3rd जोलिता टावर , मिशन रोड, बैंगलोर- 560027, खाता संख्या-150906422021824 IFSC code-UBIN0996335 में UTR No.- ICICR42023090500001466 दिनांक 15.09.2023 को रू० 309120.00 समेकित रूप से जमा किया गया ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- 1404/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 5

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।; जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1405/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक-26/09/2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 6

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-6 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में E-portal द्वारा जमा कर दिया गया है e-receipt की प्रति संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- 1406/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 7

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-7 के अनुपालन में पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1407/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक-26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 8

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिये Bird deflector उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे पारेषण लाइन Upper conductor पर स्थापित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapr@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapr@upptcl.org

पत्रांक-1408/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक-26/09/2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 9

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रस्ताव में दिये गये ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id; - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1409/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-10

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-10 के अनुपालन में परियोजना से सम्बन्धित समान दुलाई के लिये एवं अन्य प्रयोजन के लिये अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org
पत्रांक-1410/वि०प्र०ख०(मि०)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-231001
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org
दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 11

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-11 के अनुपालन में पारिषण लाइन के लिये राइट आफ वे (Right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारणीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- 1411/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-12

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या- 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्य योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक- / वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-13

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस०, निर्देशांक, Backward and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1413/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-14

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-14 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P.Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapr@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapr@upptcl.org

पत्रांक-1414/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या-15

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या- 15 के अनुपालन में राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियमों, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapur@upptcl.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapur@upptcl.org

पत्रांक-1415/वि०प्र०ख०(मि०)

दिनांक- 26/09/ 2024

वचनबद्धता प्रमाण पत्र शर्त संख्या- 16

जनपद-मीरजापुर में 132 के०वी० मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-16 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभाषीय चनाधिकारी,
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
मीरजापुर

शर्त संख्या-14

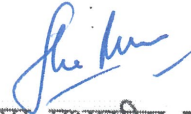
सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् सत्यापन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियंता विद्युत प्रेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद-मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर-जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति के सम्बन्ध में वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के क्रम में प्रस्तावित स्थल की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, लालगंज रेंज द्वारा की गयी ।

प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियंता विद्युत प्रेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा।


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
लालगंज रेंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर


अधिशासी अभियंता
विद्युत प्रेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन
कारपोरेशन लिमिटेड,
पथरहिया रोड, मीरजापुर

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

1 message

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>
To: eeetdmirzapr@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

Thu, Jul 6, 2023 at 7:59 PM

This is to acknowledge that the details of the funds submitted by User Agency against the proposal given below, has been verified by Nodal Officer and found to be incorrect. After making corrections, kindly resubmit it.

Proposal Detail

- | | |
|---|--|
| 1. Proposal No. | : FP/UP/TRANS/22021/2016 |
| 2. Proposal Name | : Reserve Forest Land proposed to be diverted for 132KV Mirzapur-Jigna CKT-2 LILLO Passing over forest land at Village Rajapur District Mirzapur |
| 3. Category of the Proposal | : Transmission Line |
| 4. Date of In-principle | : 17/11/2016 |
| 5. Name of the Applicant with Contact Details | |
| Name | : ELECTRICITY TRANSMISSION DIVISION UPPTCL MIRZAPUR |
| Mobile No. | : 9415311059 |
| Email ID | : eeetdmirzapr@gmail.com |
| State | : Uttar Pradesh |
| District | : Mirzapur |
| Pincode | : 231001 |

Funds Demand Details

- | | |
|---|----------------|
| 1. Compensatory Afforestation | : Rs. 83763/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | : Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | : Rs. 186457/- |
| 8. Estimate for Medicinal Plants under Transmission L | : Rs. 38900/- |
| 9. Other Charges1 | : Rs. 0/- |
| 10. Other Charges2 | : Rs. 0/- |
| 11. Other Charges3 | : Rs. 0/- |
| Total Amount | : Rs. 309120/- |

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Mirzapur

(System Administrator)